उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्तए कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-6/2016/230/ग्यारह-9(205)/2014-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(153)-2016

दिनांकः मार्च 11, 2016

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है-

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियमए 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 74 के साथ पठित धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि दिनांक 12 सितम्बर, 2015 से दस वर्ष की अवधि के लिये, उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर शत प्रतिशत **बायो फ्यूल से संचालित होने वाली मशीनरी** के विक्रय के आवर्त पर उक्त अधिनियम के अधीन किसी कर का उद्ग्रहण और भुगतान नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

बीरेश कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।